

सं. 21/123/2013-एम एंड जी


भारत सरकार  
गृह मंत्रालय

\*\*\*\*\*

एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली

दिनांक: सितम्बर, 2013

30 SEP 2013



सेवा में

श्री मंजीत सिंह  
46-बी/14 कृपाल नगर,  
रोहतक-124001  
(हरियाणा)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना।

महोदय,

मुझे राज्य सभा सचिवालय के माध्यम से अंतरित होने पर प्राप्त आपके दिनांक 13.07.2013 के आर टी आई आवेदन का उल्लेख करना है जो आवेदन के बिन्दु सं. 17 के संबंध में सूचना प्रदान करने से संबंधित है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि राज्य सभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(क) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

3. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,

(आशुतोष जैन)

निदेशक (सी एस-11) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
दूरभाष: 23438147

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

1. श्री एस. सामंता, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को दिनांक 12.08.2013 के उनके का.जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

9/2012  
20/9/13

सेवा में  
श्री जन सुचना अधिकारी जी

13-7-13  
71  
RECEIVED  
Noida / New Delhi

सुनाव आयोग  
अशोक रोड, पिलहवा नगर  
विषय: RTI 2005 के तहत जानकारी पाने के लिये  
श्री मान जी,  
श्री, आपके विभाग से कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करना  
चाहता हूँ। अतः जानकारी देने की कृपा करें

Suman  
29/7/13  
34-BK

जनसूचना अधिकारी  
राज्य सूचना आयोग  
प्लॉट नं. 14, मन्दापूर रोड  
राजधन संस्थान

1 सुनाव आयोग ने कितने लोगों को 'वोट के अधिकार' से  
वंचित किया है/ सम्पूर्ण जानकारी दी जाय (14/7/2013 तक)

2 पार्टियों किस आधार पर उम्मीदवार चुनती हैं/ (अमीरता से शायद  
पार्टी मेंबर ही राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनते हैं)  
पार्टी का

3 देश में SC/ST के सुनाव क्षेत्र होते हैं तो OBC के लिए  
भी सुनाव क्षेत्र क्यों नहीं होते, जानकारी दी जाय

4 जब सुनाव चुनाव में SC/ST सीट होती है तो केन्द्रीय मंत्रीपट्टिपद  
में SC/ST को निर मंत्री मना नहीं बनाते, जानकारी दी जाय

5 जब मैजस्ट्रेट पद किसी महिला/SC/ST जाति आदि के लिए  
आरक्षित हो जाता है तो प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति पद  
में किसी जाति/धर्म के लिए, आरक्षित मना नहीं  
हो सकता, उम्मीदवारों को जानकारी दी जाय

6 जब सुनाव लड़ने की Minimum Age व Maximum Age नहीं है  
तो नोमिनेट में Maximum Age मना नहीं जाती है  
उदाहरण: सरमरत 60 से रिटायर होता है/ वोट पाने 50  
की उम्र में नोमिनेट हो जाय (जानकारी दी जाय)

जब SC/ST के अन्तर्गत में सिट रिज होती है तब  
 दरिद्रता लीनसमा की सिटिया (लो) व ठोका (डा) ①  
 ने चर्म के नाम (अल्पसंख्यक) के नाम पर  
 सित इराकित (रिज) म्पो व्ही च्ही

8 लोकसभा सित इराकित या जनसंख्या के आधार पर होती है

9 लोकसभा के सितो के रिज व्ही का व्हा नियम है

10 चुनाव आयोग ने सिटो पाठियो की सारफत गणना र्ही है

11 Code of conduct लागव का म्पा कारण है

12 लोकसभा / विधानसभा चुनाव का अधिकतम समय <sup>व्ही सिटिया रिज</sup> 3 म्ही पाठ 10/20 होइव कापि लम्  
 अपन प्रकार मे र्ही म्पा व्ही

13 चुनाव आयोग उम्मीदवारी के 5 वर्षे पुराने JAR म्पो  
 व्ही जागनाही हैता ताहि Block money का व्ही सित

14 काम विपरीत व्यापार काजो म्पो काजो आरु मे चुनाव लड करता हैका

15 चुनाव आयोग उम्मीदवारी मे सितो म्पो सित म्पो म्पो म्पो म्पो  
 (उम्मीदवारी व्ही)

16 चुनाव आयोग मे सुट बिती सारफत व्ही व्ही व्ही व्ही व्ही  
 पाठो नाम, चुनाव चिन्ह सारफत, सम्पूर्ण विवरण दिया जाइ

17 राज्य सभा मे 10 सदस्यो मे जाभित 20 म्पो उम्मीद म्पो व्ही व्ही व्ही  
 (UPP or House) (मन्त्र कारिण व्ही) यन्पवाव सारफत  
 म्पो म्पो सारफत